न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 2 / 183 / 2020 दायर दिनांकः– 21 / 09 / 2020

जीसीएमएस नं0:– 2020 / 01180 निर्णय दिनांकः– 07 / 04 / 2025

बउनवान

1. चावसिंह पुत्र कपूर खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
2. सुभान पुत्र कपूर खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. आशा पुत्र कन्नी जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
2. किन्नो पत्नी कन्नी जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
3. धनेश पुत्र कन्नी जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
4. परमानन्द उर्फ विजेन्द्र पुत्र कन्नी जाति धोवी निवासी टिटपुरी
5. बबली पुत्र फूलचन्द जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
6. राजू पुत्र फूलचन्द जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
7. तारेश पुत्र फूलचन्द जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
8. लच्छो पत्नी फूलचन्द जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
9. रामदास पुत्र बाबू जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
10. रामेश्वर पुत्र बाबू जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
11. जग्गी पुत्र बाबू जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
12. प्रेम पुत्री बाबू जाति धोवी (मृतक)

12 / 1 मूर्ति पुत्री माता प्रेम जाति धोवी

12 / 2 बबीता पुत्री माता प्रेम जाति धोवी

12 / 3 रामसिंह पुत्र माता प्रेम जाति धोवी

12 / 4 बनवारी पुत्र माता प्रेम जाति धोवी

12 / 5 सोनू पुत्र माता प्रेम जाति धोवी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

12/6 समयसिंह पुत्र माता प्रेम जाति धोवी

12/7 उमेश पुत्र माता प्रेम जाति धोवी

12/8 तारा पुत्र माता प्रेम जाति धोवी

13. फूलन पुत्री बाबू जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
14. सुनीता पुत्री बाबू जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
15. होती पुत्र मूला जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
16. कमलेश पत्नी कैलाशचन्द जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
17. बबली पुत्र मंगल जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
18. महेन्द्र पुत्र मंगल जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
19. विजेन्द्र पुत्र मंगल जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
20. ओमप्रकाश पुत्र मोहरसिंह जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
21. मन्नू पुत्र सोहनलाल जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
22. सव रजिस्ट्रार कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता सायलान
श्री भागचन्द जैन – अधिवक्तागण गैरसायल सं01 ला0 11, 13 ला0 21
श्री गिरधारीलाल शर्मा अधिवक्ता गैरसायल सं0 7

कन्सोलिडेट वाद

राजस्व वाद संख्याः– 2/17/2022 दायर दिनांकः– 21/17/2022
जीसीएमएस नं0ः– 2022/ 32 निर्णय दिनांकः– 07/04/2025

1. लच्छो पत्नी फूलचन्द जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
2. महेशचन्द पुत्र फूलचन्द जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
3. राजेश कुमार पुत्र फूलचन्द जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
4. तारेश पुत्र फूलचन्द जाति धोवी निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर

जिला अलवर

——— सायलान

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
... राज0

1. चावसिंह पुत्र कपूर जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
2. सुभान पुत्र कपूर जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
3. फारूक पुत्र चावखां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
4. अलीशेर पुत्र चावखां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
5. एसीखां पुत्र चावखां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
6. अनीस पुत्र चावखां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
7. रहीस खां पुत्र चावखां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
8. सहजाद पुत्र सुभान खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
9. रफीख पुत्र सुभान खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
10. राहुल पुत्र सुभान खां जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–श्री गिरधारीलाल शर्मा – अधिवक्ता सायलान

श्री रामजीलाल शर्मा – अधिवक्ता गैरसायल सं0 1ला0 10

–:निर्णयः–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 181 रकवा 0. 37 हे0 182 रकवा 0.70 हे0 ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी के तर्फ दक्षिण में गैरसायल सं0 1 ला0 16 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 183 वाके ग्राम टिटपुरी है। इस खसरा नम्बर 183 के तरफ दक्षिण में लक्ष्मणगढ से कठूमर जाने वाली सडक सरकारी है। सायलान विवादित आराजी में इस सडक से पी डब्ल्यू डी विभाग की कच्ची पटरी व गैरसायल सं0 1 ला0 16 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 183 में होकर निकलते है। इसके अलावा अन्य कोई सायलान के पास विवादित आराजी पर आने जाने का और कोई रास्ता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज0

गैरसायल सं0 1 ला0 16 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 183 कठूमर से लक्ष्मणगढ जाने वाली सडक के मध्य सडक से खसरा नम्बर 183 के दक्षिणी कोने तक की लम्बाई 70 फुट है गैरसायल सं0 1 ला0 16 का खेत खसरा नम्बर 183 कृषि भूमि है जिस पर काश्त होती है जो आराजी कनवर्ट नहीं है। गैरसायल सं0 17 ला0 21 का आराजी खसरा नम्बर 183 से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है ना ही गैरसायल संख्या 1 ला0 16 के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी का गैरसायल सं0 17 ला0 21 के नाम वेचान हो सकता है जो कानून से प्रतिबन्धित है ना गैरसायल सं0 17 ला0 21 इस पर काविज हो सकते है जो धारा 42 का उल्लंघन है। गैरसायलान आपस में मिले हुये है जो खसरा नम्बर 183 के तरफ दक्षिण में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि को दवाकर व तरफ उत्तर में सायलान की विवादित आराजी को दवाकर पुख्ता निर्माण करने पर अमादा है तथा विवादित आराजी में सायलान के रास्ते को बन्द करने की जुस्तजु में है जवकि गैरसायल सं0 1 ला0 16 की आराजी खसरा नम्बर 183 कृषि भूमि है जिस भूमि का रूपान्तरण नहीं हुआ है लेकिन गैरसायलान जबरदस्त व लटठ बाज व्यक्ति है जो गैरसायल संख्या 17 ला0 21 गैरसायल सं0 1 ला0 16 से.मिलकर विवादित आराजी पर तरफ उत्तर को विवादित आराजी व तरफ दक्षिण को सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि को दबाकर पुख्ता निर्माण कर रहे है तथा सायलान के रास्ता को बन्द कर रहे है यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को काफी नुकसान व क्षति होगी। सायलान का रास्ता बन्द हो जावेगा जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 ला0 11 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 182 सालम सायलान की खातेदारी में दर्ज नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा एक खातेदार काश्तकार ही ला सकता है जबकि अमरूदी, फज्जा, सहजी की ओर से कोई दावा पेश नहीं किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी

गैरसायला सं0 12 प्रेम कई साल पूर्व फौत हो चुकी है जिस मरी हुई लडकी के खिलाफ भी दावा पेश कर दिया है। कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्व दावा नहीं चल सकता। खसरा नम्बर 181 व 182 दोनों खसरा नम्बरान विवादित नहीं है। सायलान गैरसायल सं0 1 ला0 11 वो 13 ला0 16 की आराजी को हडपना चाहते है। सायलान का रास्ता गैरसायलान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 183 में होकर नहीं है। सायलान अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 182, 183 के लिये खसरा नम्बर 194 में होकर खसरा नम्बर 206 में आता हे खसरा नम्वर 194 व 206 भिडवा है। खसरा नम्बर 206 आबादी ग्राम टिटपुरी से आम रास्ता है जहा होकर सायलान का रास्ता है। गैरसायलान ने खसरा नम्बर 183 में से कोई जमीन गैरसायल सं0 17 ला0 21 को नहीं बेची और ना कब्जा दिया। हम गैरसायलान ने पी डब्ल्यू डी कोई जमीन नहीं दबाई है यदि दबाते तो सार्वजनिक निर्माण विभाग हमारे खिलाफ कार्यवाही करता। सायलान का हमारी खातेदारी की आराजी में होकर कोई रास्ता नहीं है। सायलान का दावा सुखाधिकार व धारा 251 (क) का भी नहीं है। सायलान को हम गैरसायलान की आराजी में होकर निकलने का अधिकार नहीं है। हम गैरसायलान अनु0 सूचित जाति में धोबी जाति के लोग है। सायलान हमारी जमीन पर जवरन कब्जा करना चाहते है। पशुओं व जानवरों से होने वाले नुककसान की वजह से हम खसरा नम्बर 183 की चार दीवारी कर रहे है। जिसके लिये धारा 66, 67 आर टी एक्ट के तहत एक खातेदार काश्तकार को विना ईजाजत के निर्माण के अधिकार है जिस वावत गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया जा सकता। सायलान को किसी तरह का नुकसान व क्षति नहीं होती है। गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र घुमा फिराकर महज गैरसायलान को पाबन्द करने की नियत से पेश किया है जो पोषणीय नहीं है खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी हाल खसरा नम्बर 181, 182, 183, 194 वाके ग्राम टिटपुरी, नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा वाके ग्राम टिटपुरी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान का पाबन्द किये जाने का निवेदन किया व अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान व गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व दस्तावेजात जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया।

सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –

(1) प्रथम दृष्टा केस

(2) सुविधा का सन्तुलन

(3) ना पूर्ति होने वाली क्षति

प्रथम दृष्टा केसः– सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में नकल जमाबन्दी हाल व मौके का नजरी नक्शा व नक्शा ट्रेस की छाया प्रति पेश की है। 188 में मूल दावे का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना है वर्तमान में केवल अस्थाई निषेधाज्ञा पर फैसला होना है। यह सही है कि खसरा नम्बर 183 सडक सरकारी से लगता हुआ है उसके वाद खसरा नम्बर 181–182 है। सायलान ने सडक कठूमर से लक्ष्मणगढ वाली से होकर खसरा नम्बर 183 में होकर खसरा नम्बर 181–182 में काश्त करने के निकलना कथन किया है। चूंकि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से खसरा नम्बर 181– 182 के लिये आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। चूँकि विवाद खातेदारी के खेत पर काश्त करने के लिये आने जाने का है एक खातेदार पडौस के खेत की डौल पर होकर अपने खेत पर काश्त करने जाने के लिये स्वतंत्र है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो वो सायलान के खातेदारी के खेत

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

पर आने जाने के रास्ता के उपयोग एंव उपभोग में बाधा पैदा कर सकते है जिससे सायलान अपनी खातेदारी की आराजी पर आने जाने से बंचित हो सकते है। जिससे सायलान को असुविधा हो सकती है। गैरसायलान को पावन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान व क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायलान के पक्ष में सावित है।

सुविधा का सन्तुलनः– यदि गैरसायलान ने सायलान को उनकी खातेदारी की आराजी पर आने जाने के रास्ता को बन्द कर दिया तो सायलान को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में सावित है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः– यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायलान की खातेदारी की आराजी के आमद रफत के रास्ता तो बन्द कर सकते है जिससे सायलान को ना पूर्ति होने वाली क्षति होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह की क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति का बिन्दु भी गैरसायल सं0 1 के पक्ष में साबित है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–:आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायलान के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है। इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है एवं उक्त प्रार्थना पत्रों के मूल वाद एक ही सामान नेचर के होने के कारण एक साथ कन्सोलिडेट कर एक साथ सुनवाई हेतु विचाराधीन है जिसके कारण दोनो प्रार्थना पत्रों का एक साथ निस्तारण किया जाता है। एवं निर्णय की एक प्रति दुसरे प्रार्थना पत्र के साथ भी लगाई जावे। मूल वाद का निस्तारण होना

उपखण्ड अधिकारी

है अतः मूल वादो के निर्णय तक उभयपक्षकारान को पावंद किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 181, 182 वाके ग्राम टिटपुरी में सायलान के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें उक्त आराजी के दक्षिणी हिस्से को खसरा नम्बर 183 में दबाकर किसी तरह का निर्माण ना करें तथा खसरा नम्बर 181–182 में आने जाने के रास्ता को अवरूद्ध ना करें। प्रार्थना पत्र फैसल सुनार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाले (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी